न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 02/2023 बउनवानी हेमा कृष्ण मुरारी बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर .बामनवास जाति मीना निवासी ग्राम व पोस्ट लोरवाडा तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/02 ON Line Appeal No. 321074160798891

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
1.2.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. मादल गांव तहसील बामनवास के ख0न0 193,194,197,259,260,261,287,288, 323,338/633,461,462,466 पर माननीय न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के समक्ष मु0न0 57/29.8.2019 के निर्णय व सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर बामनवास के जवाब नोटिस क्रमांक /आरटीआई/23/100 दिनांक 1.2.3023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना (मु0न0 57/29.8.2019 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति) जरिये पत्रांक 99 दिनांक 1.2.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (मु0न0 57/29.8.2019 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति) उपजिला कलेक्टर बामनवास के पत्रांक 99 दिनांक 1.2.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर बामनवास द्वारा अपीलान्ट को सूचना अधिनियम की तय समय सीमा के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है जो उचित नही है। अतः उपजिला कलेक्टर बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता से अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:30:19 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर